


18/6/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट  
हस्ता पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित है ।  
वकील प्रतिवादी सं०-5 के द्वारा कथन किया गया  
कि वादी रामदेव फौत हुये काफी समय हो गया है  
उनके एल. आर. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने  
से दावा अखेट हो जाने से दावा खारिज फरमाया  
जावे । तथा वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी सं०-2  
को जानबूझ कर तामील नहीं करवाई जा रही है

जबकि वकील वादी ने कथन किया कि  
वादी फौत हो गया है तो इसको जानकारों कर  
वारिस कायमी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर देगे तथा  
प्रतिवादी सं०-2 को तामील हेतु सम्मन प्रस्तुत कर  
देगे । अन्त में कथन किया कि एक अवसर और दिलाया  
जावे ।

मने वकील उभयपक्ष को सुना । बहस पर  
मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का  
अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :-  
प्रकरण की आदेशिका के अनुसार न्यायालय द्वारा  
प्रतिवादी सं०-2 को तामील कराने हेतु सम्मन तलवाना  
पेश करने के लिए वकील वादी को दिनांक 11/4/16  
9/8/2016, 19/9/2016, 23/1/2017, 7/3/2017,  
19/4/2017, 20/2/2018 तथा दिनांक 20/3/2018  
को अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी के  
द्वारा प्रतिवादी सं०-2 के सम्मन तलवाना फौस पेश  
नहीं की गई । आज भी वकील वादी के द्वारा  
सम्मन तलवाना पेश नहीं किये जाने से न्यायालय  
आदेश-9 नियम- 2 व 5 जाप्ता दिवानों के तहत  
यह वादे खारिज किया जाना उचित समझता है ।  
लिहाजा दावा वादी अदम तकमौल में खारिज किया  
बसवत जाता है । पत्रावली शुमार फैसल होकर

सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) मुलावपुरा  
मुलावपुरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दफ्तर करे । आदेश आज दिनांक 18/6/2018 को शृंगुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया । सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा